

UNIVERSITY OF KOTA
M.B.S. Marg, Kabir Circle, KOTA
Notice Inviting Tender

Ref: Physics Deptt./2013/14410

Date 04/10/2013

Sealed bids (financial & technical, in separate envelope) are invited from manufacturers/authorized distributors/interested firms for the supply of equipments for Department of Pure & Applied Physics, University of Kota, Kota. Tender documents and detailed specifications can be downloaded from the university website www.uok.ac.in.

Item	Est. Cost	Tender Fee	EMD	Last Date of Submission	Opening of Tender
Physics Lab Equipments	25 lacs	Rs. 1000/- by DD in favour of Registrar, University of Kota, Kota	2 % of the quoted items	25/10/13 by 2:00 pm	25/10/13 by 3:00 pm

The bidder must comply with the terms & conditions given in the tender document. The terms & conditions shall apply, read carefully and sign each paper else bid will be rejected. The university will not be responsible for any postal delay. The university reserves all the right to reject or accept any or all tender in part or full without assigning any reason thereof. The equipments will be installed and demonstrated at the Physics laboratories, University of Kota, Kota. The price quotation must be inclusive of all charges e.g. packing, forwarding, freight, transit insurance, taxes etc.

Registrar

UNIVERSITY OF KOTA
M.B.S. Marg, Kabir Circle, KOTA

Technical Specifications of the equipments

S. No.	Name of Equipments/ Experiments	Technical Specifications	Quantity
1.	Dielectric Constant kit	Electrometer amplifier, digital multimeter, power supply (2-12 V AC/DC), high voltage power supply(0-600V DC), arrange on a set up to measure the capacitance of plate capacitor by charge measurement, as a function of area of plates, distance between the plates & determine the dielectric constant of different materials.	1
2.	Photoconductivity kit	CdS Photo-resistor in holder, power supply 12 V AC/DC 5 Amp. Lamp housing, Convex lens, Polarizer, Analyzer, Optical bench Adjustable slit, power supply 0-16 V DC 5Amp., Digital multimeter arrange on a set up to study the current and voltage characteristics of CdS photo-resistor at constant irradiance, measure the photo-current as a function of the irradiance at constant voltage.	1
3.	Combinatorial And Sequential kit	Circuit board, AND Gate module, Ex-OR gate module, flexible lead set (25 cm), flexible lead set(50 cm), flexible lead set (100 cm) full adder module, half adder module, half subtractor module OR gate module, FND+7 segment decoder, decade counter module RS flip flop, D-flip flop, JK flip flop module, switch register module, push button module, digital multimeter, signal generator, variable power supply arrange as a set up To study half adder and full adder circuit, half Subtractor, BCD to 7- segment decoder using 7 segment display, decade counter, RS flip flop, D flip flop, Jk flip flop, Shift registers.	1
4.	Electronic Plug In Kit	LR circuit, CR circuit, LCR circuit, Charging and Discharging of a capacitor, Clipper and Clamper circuit, Half Wave and full Wave (Bridge) Rectifier, Capacitor Filter Effect in Power Supply, Unregulated and regulated power supply, PN Junction Diode Characteristics, LED Characteristics, Zener Characteristics, Transistor Input/ Output Characteristics, CE Amplifier Frequency Response, RC-Coupled Amplifier (Multistage Amplifier), Differential Amplifier Circuits, Astable Multivibrator Circuit using Transistor, Colpitt's Oscillator, JFET Characteristics, MOSFET Characteristics, Characteristics of SCR, Characteristics of TRICA, UJT as Relaxation Oscillator, Logic Gates, Demorgan's Theorem, Half Adder and Full Adder	1

		Circuit, BCD to 7-Segment Decoder Using 7- Segment Display, Decade Counter, Flip Flops, Shift Registers, ADC/DAC Circuits, OP-Amp as Inverting / Non Inverting Amplifier, as Adder/ Subtractor, As Integrator / Differentiator, RC Phase Shift Oscillator Using Op- Amp, Wein – Bridge Oscillator Using Op-Amp, Solar Cell Characteristic, Op-Amp as a Comparator, Astable Generators Using IC 555 Timer, Mono-Stable Generators Using IC 555 Timer, Ohm’s Law, Kirchoff’s Law, Series & Parallel Effect of Resistance, Resistance as a Voltage Divider, LDR Characteristics & Thermistor Characteristics.	
5.	DIA-PARA-Ferromagnetism kit	Power supply 15 V AC/DC, 8 A, U core, pole piece attachment for pole, coil 250 turns, A shaped base, rod L shaped, attachment assembly, Ni, Bi, and Al sample, multimeter, flexible plug lead red, flexible plug lead black, flexible plug lead yellow arrange on a set up to demonstrate dia, para and ferro magnetism in an inhomogeneous magnetic field.	1
6.	Balmer Series and Rydberg Constant kit	Spectrometer (L.C=20 sec), diffraction grating, spectrum tube power supply, hydrogen tube arrange on a set up to measure the wavelengths of the Balmer Series of Visible emission lines from hydrogen & determine the Rydberg constant using the Bohr model formulation.	1
7.	Planck’s Constant By LED kit	Planck’s constant apparatus, oven, LED Red, LED yellow arrange on a set up to determine material Constant, temperature Coefficient of Current & Planck’s Constant by LED.	1
8.	Solar PV training kit	Complete set comprising two PV modules of 37Wp, two halogen lamps 900W, manual tracking system, charge controller 12 V/ 24V & 5Amp., inverter 150 W/12V input, batteries 4.5 AH/12volt, AC & Dc load, different meters to measure various parameters, data logger and plotter, radiation meter, shading elements, connecting wires.	1
9.	Solar Thermal training kit	Complete set comprising of water heater system, radiation meter, external water tanks, water pump, water flow meter, stop watch, anemometer, pressure gauges, thermometers, cooler, artificial wind source, artificial radiation system & regulator. complete set comprising of water heater system, radiation meter, external water tanks, water pump, water flow meter, stop watch, anemometer, pressure gauges, thermometers, cooler, artificial wind source, artificial radiation system & regulator.	1
10.	Optical Fiber Kit	One-meter PMMA fiber patch cord, five meter PMMA fiber Patch cord, In-Line SMS adaptor, Madrel, Numerical aperture measurement zig, fibre optics trainer speaker mike arrange on a set up to determine the numerical aperture of the PMMA fiber cable, study various types of losses that occur in fibers and measure the loss in dB of two optical FIBER patchcords, losses at FIBER junctions with an in – line SMA-SMA adaptor by creating	1

		known air-gaps, various type of losses that occur in optical FIBERs and measure losses in dB of two optical FIBER pathcords at two wavelengths, namely, 660nm and 850nm and the coefficients of attenuation per meter at these wavelengths are to be computed from the results, the relationship between the LED dc forward and the LED optical power output and to determine the linearity of the device as 660nm or as well as 850nm. The conversion efficiencies of the two LEDs will also be compared, the relationship between the optical input power, P_{in} on a photodetector and the resultant photocurrent I_p . the photo-detector in this case is a phototransistor, the AC Characteristics of a linear intensity modulation system, $V_{in(ac)}$ Vs $V_{0(ac)}$ for fixed carrier power P_0 and f_0 & external circuitry to transmit an audio signal through an optical FIBER using the analogue transmitter and receiver.	
11.	Microwave Trainers Set-up (C.R.). klystron	The complete experimental setup consists of the following items- Klystron power supply solid static digital read out, Klystron mount, Klystron tube, Isolator, Frequency meter, Variable attenuator, Slotted section with probe carriage, Tunable probe, detector mount, Movable short, matched termination VSWR meter, solid state, waveguide stands: 4Nos, Slide screw tuner, BNC cable: 2 Nos, cooling fan, fixed short.	1
12.	Microwave Trainers Set-up (C.R.)	The complete experimental setup consists of the following items- Klystron power supply solid static digital read out, Klystron mount, Klystron tube, Isolator, Frequency meter, Variable attenuator, Radiation pattern turn table, Standard gain horn, detector mount, Pyramidal horn, Pick up horn, VSWR meter solid state, Board wall slot antenna, Narrow wall slot antenna, cooling fan, parabolic disc, T-Circulator, coaxial to waveguide adopter: 2Nos, waveguide short, waveguide stands: 4Nos, Waveguide bends: 2 Nos, Tripod stand, cable.	1
13.	Bread Boards	2420 type point with power supply, one fixed DC regulated power supply of +5V/500 mA, One variable DC regulated power supply of 0- \pm 15 V/500 mA, \pm 0.2% Load Regulation, \pm 0.05% Line Regulation with short circuit and over load protection.	2
14.	Microwave Oven	Capacity 25 litres, microwave with convection and grill	1
15.	Refrigerator	Capacity 300 Ltrs, Frost Free	1
16.	UPS	20 KVA, Power 18 kW, Voltage Distortion less than 5%, Output-50/60 Hz \pm 3 Hz user adjustable \pm 0.1, Built-in Static Bypass, Internal Bypass (Automatic and Manual), Maintenance-free sealed Lead-Acid battery with suspended electrolyte : leak proof Batteries, Overload operation-60 seconds @ 125% and 30 seconds @ 150%	1
17.	Experimental set up for Electro-Optic effect (Pockel effect) (with	Experimental set up for electro-optic effect (pockel effect) (with He-Ne laser): Complete setup with He_Ne laser, Pockel Cell of lithium niobate mounted on circular table, polarizer	1

	He-Ne laser)	and analyzers, power supply high voltage, detector and meter along with laser mount. All components mounted on 1*4 feet *60mm optical bread board.	
18.	Experimental set up for acousto-optic effect (with He-Ne laser)	Experimental set up for acousto-optic effect (with He-Ne laser): Complete setup with He-Ne laser, acousto optic cell, collimator, RF oscillator and other auxiliary items like bases, long translation stage, laser mount and optical bread board 1*4 feet *60 mm for mounting all opto-mechanical components	1
19.	Experimental set up for measurement of thermal expansion of quartz crystal using Newton's Ring method.	Experimental set up for measurement of thermal expansion of quartz crystal using Newton's ring method. Complete setup with arrangement to heat up two quartz crystal placed He-Ne laser and other auxiliary like heave bases, lenses with mounts, temperature indicator, and screen.	1
20.	Experimental set up for the measurement of Brewster angle and refractive index of materials like glass and fused silica (with He-Ne laser). (3 plates of different R.I.) with a specially designed spectrometer	Experimental set up for measurement of Brewster angle and refractive index of materials like glass and fused silica, with a specially designed spectrometer. Complete setup with He-Ne laser spectrometer, transparent plates of different refractive indices and all other auxiliary items.	1
21.	Experimental set up for measuring Gaussian profile intensity distribution of Laser beam (with He-Ne laser).	Experimental set up for measuring Gaussian profile intensity distribution of laser beam. Complete setup with He-Ne laser, Sharpe edge, single slit double slits and all other auxiliary items like bases, detector on linear stage with LC=0.01MM, DMM on optical bread board 1*4 feet with laser mount Extra linear CCD with computer interface model calliens	1
22.	Experimental set up for the study of spatial and temporal coherence of Laser (with He-Ne laser).	Experimental ser up for the study of spatial and temporal coherence of laser. Complete setup with He-Ne laser, obstacle of different sizes and shapes of transparent plates (one half silvered two mirrors and all other auxiliary items like long stage Michelson interferometer.	1
23.	Setup to find thickness of thin glass sheets using Mach-Zehnder Interferometer	To find thickness of thin glass sheets using Mach-Zehnder interferometer: Complete setup of Mach-Zehnder interferometer with transparent plates of different refractive indices and thickness and all other auxiliary items like honey comb bread board 2 x2 feet x 60 MM, laser with mount, mirrors and beam splitters with mounts having tilting arrangement the unit is complete in itself.	1
24.	Setup to find Speed of light in air using laser.	Finding speed of light in air using laser. Complete setup with diode green laser, electronic communication setup with optical fiber of different sizes (1 m and or by phase method)	1

25.	Setup to study circularly and elliptically polarised light using Fresnel Rhomb	To study circularly and elliptically polarized light using Fresnel: Complete setup with He-Ne laser, Polarizer, Quarter wave plate, Fresnel rhomb and all other auxiliary item like small optical bench of SS rod with riders along detector and DMM and laser mount.	1
26.	Experimental setup for determination of curie temperature of Ferro magnetic materials.	Experimental setup for determination of curie temperature of Ferro magnetic materials. Complete set up with hot air oven, sample.	1
27.	Franck Hertz experimental setup using Argon gas	Argon filled Tetrode with filament power supply 2.6-3.4 V continuously variable, Grids power supply: 1.3-5 V, 1.3-12 V, 0-95 V continuously variable, Saw tooth waveform for CRO display, with scanning voltage 0-80 V and frequency 115 ± 20 Hz, Power 220 V, 50 Hz	1
28.	Solar Resource Assessment System	Complete system comprising of temperature sensor, humidity sensor, wind speed measurement unit, solar radiation unit, data logger, communication unit, power unit, receiving application and data display.	1
29.	Michelson Interferometer setup	Michelson interferometer: to determine the wavelength of monochromatic light using He-Ne laser setup with Michelson interferometer, expander with mount. He, Ne, Laser with mount and base along with screen on tripod stand	1
30.	FET characteristic kit	Complete setup to study the static and transfer characteristics curve.	1
31.	Dynamics of lattice using electrical analogue kit	Dynamics of lattice using electrical analogue complete setup with CRO, one and two dimensional electronic lattices, Frequency generator.	1
32.	Specific heat capacity of solids kit	A shaped base, Clamp, Dewar Flask, Bosshead, Rod 50 cm, Steam Chamber, Beaker 250 ml, Copper, Lead, Glass shots, Flask, Rubber Corks, Digital Thermometer, Digital Weighing Scale, Silicon tubing arrange as a set up to study variation in Heat Capacity with temperature for solids	1
33.	High temperature Super Conductivity Kit	High temperature super conductivity kit complete setup to determine Tc and resistivity radiation with temperature for superconductors, Probe, Probe Chamber, Vernier Labpro Interface with Software, Differential voltage Probe, liquid nitrogen Cryocan.	1
34.	Millikan Oil Drop Apparatus	Milikan oil drop apparatus" complete setup to determine the electronic charge and to show electronic charge is quantized direct viewing type, With CCD camera, consists of in-built power supply, ON/OFF switch, switch for up and down motion of oil drop, telescope, atomizer and CCD camera, CCTV attachment for group experimentation technical sepecification: input voltage : AC 220 V, 50 Hz, output power : 5W, Plate voltage:0~500 V DC, Plate distance: 5 ± 0.2 mm, total magnification: 30X, Linear field of vision:>-3mm, scale	1

		division:2+-0.01MM, Objective lens:100 lines/mm, operating temperature: -10~40 C, Relative Humidity: Not less than 85%(at 40 C)	
35.	Microwave Trainers Set-up No. 2 (C.R.). Gunn Diode	The complete experimental setup consists of the following- Gunn power supply, Gunn Oscillator, Pin modulator, Isolator, frequency meter, variable attenuator, slotted section with probe carriage, tunable probe, detector mount, Movable short, matched termination VSWR meter, solid state, waveguide stands: 4Nos, Slide screw tuner, BNC cable: 3 Nos,	1
36.	Microwave Trainers Set-up No. 4 (C.R.). Di-Electric	The complete experimental set up consists of the following items- Klystron power supply solid static digital read out, Klystron mount, Klystron tube, Isolator, Frequency meter, Variable attenuator, Slotted section with probe carriage, Tenale probe, detector mount, Solid dielectric cell, VSWR meter, solid state waveguide cavity, cooling fan, movable short precision phase shifter, set of solid dielectrics of: Teflon, Nylon, Ebonite etc, cable.	1
37.	Materials Experiments Kit with red diode laser	Diode laser, mount, bases, polarisers, circular table, glass plate screen, Quartz, plano convex lens, lithium niobate crystal, calcite crystal, circular protractor, glass rod defective with holder, strained glass plate, filters (4 nos), Detector, digital meter arrange as set up to measure optical rotation, double refraction, refractive index of glass plate, strains in glass, absorption of light using filters of different colours.	1
38.	Experimental setup for the study of nature of Polarisation with He-Ne Laser. Study circular, elliptical polarization using a quarter wave plate	Experimental setup for the study of nature of polarization with He-Ne laser. To study circular, elliptical polarize, Analyzer, Quarter wave plate, and all other auxiliary items like SS rod optical bench with riders, laser mount, detector and DMM.	1
39.	Weighing Balance with digital display	Single Pan Balance, Automatic, Readability of 0.01mg	1
40.	Function Generator	Frequency 1 Hz to 5 MHz, output impedance 50 Ohms, TTL, CMOS output, Sine, Square and Triangulat waveforms, 20 Volts	5
41.	Cathode Ray Oscilloscope	20 MHz with component tester	5

कोटा विश्वविद्यालय, कोटा

महाराव भीमसिंह मार्ग, कबीर सर्किल के पास, कोटा

निविदा सूचना संख्या-Physics Deptt./2013/14410

दिनांक: 04.10.2013

कार्य का नाम	:	Physics Equipments की आपूर्ति हेतु दर अनुबन्ध
निविदा कार्य की अवधि	:	एक वर्ष
निविदा शुल्क	:	रु. .1000/-
धरोहर राशि	:	2 %
निविदा विक्रय की तिथि	:	दिनांक: 07.10.2013, 11.00 बजे से 25.10.2013 दोप. 1.00 बजे तक
निविदा जमा करने की तिथि	:	दिनांक: 25.10.2013 समय दोपहर 2.00 बजे तक
निविदा खोलने की तिथि	:	दिनांक: 25.10.2013 समय सायं 3.00 बजे

निविदा प्रपत्र

(निविदाकार द्वारा भरकर लिफाफे में सीलबंद कर रखने हेतु)

1. निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम
एवं पता
दूरभाष नम्बर
2. संदर्भ निविदा सूचना क्रमांक
.....
3. निविदा प्रपत्र शुल्क की राशि रु. नकद जरिये रसीद संख्या एवं दिनांक: द्वारा
अथवा रेखांकित बैंक ड्राफ्ट संख्या दिनांक: के द्वारा जमा करा दी गई है।
4. हम कोटा विश्वविद्यालय द्वारा जारी की गई निविदा सूचना संख्या दिनांक: में वर्णित सभी
शर्तों से तथा संलग्न शीट में दी गई उक्त निविदा सूचना की अतिरिक्त शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते हैं।
इनके सभी पृष्ठों पर उनमें उल्लेखित शर्तों को हमारे द्वारा स्वीकार किए जाने के प्रमाण में हमने हस्ताक्षर कर दिए
हैं।
5. फर्म द्वारा आदेश प्राप्त करने के दिनांक से 30 दिवस की अवधि के भीतर कार्यादेश में वर्णित दरों एवं शर्तों के
अनुसार कार्य प्रारम्भ किया जावेगा।
6. उद्धृत की गयी दरें दिनांक: से तक एक वर्ष की अवधि के लिये विधि मान्य है। इस
अवधि को पारस्परिक सहमति के आधार पर बढ़ाया भी जा सकता है।
7. धरोहर राशि रु. का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक संख्या दिनांक:.....
संलग्न किया जा रहा है।

कोटा विश्वविद्यालय, कोटा

महाराव भीमसिंह मार्ग, कबीर सर्किल के पास, कोटा

खुली निविदा के लिए निविदा एवं संविदा की शर्तें

(देखिए नियम 68)

टिप्पणी – निविदादाताओं को इन शर्तों को सावधानीपूर्वक पढ़ना चाहिए तथा अपनी निविदाएं भेजते समय इनकी पूर्णरूपेण पालना करनी चाहिए ।

1. निविदाओं को निविदा सूचना में दिए गए निदेशों के अनुसार उचित रूप से मुहरबन्द लिफाफे में बन्द करना चाहिए ।
2. **वास्तविक डीलरों (Bonafide dealers) द्वारा निविदाएं** :- निविदाएं मालों के वास्तविक डीलरों द्वारा ही दी जायेगी । अतः वे एस. आर. प्रारूप 3 में एक घोषणा प्रस्तुत करेंगे ।
3. (i) फर्म आदि के गठन में किसी भी परिवर्तन की सूचना क्रेता अधिकारी को लिखित में ठेकेदार द्वारा दी जायगी तथा इस परिवर्तन से संविदा के अधीन किसी भी दायित्व से, फर्म के पहले सदस्य को मुक्त नहीं किया जाएगा ।
(ii) संविदा के सम्बन्ध में फर्म में किसी भी नए भागीदार/भागीदारों को ठेकेदार द्वारा फर्म में तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि वे इसकी समस्त शर्तों को मानने के लिए बाध्य नहीं हो जाते एवं क्रेता अधिकारी को इस सम्बन्ध में लिखित इकरार नामा प्रस्तुत नहीं कर देते । प्राप्ति स्वीकृति के लिए ठेकेदार की रसीद या बाद में उपरोक्त रूप में स्वीकार की गयी किसी भागीदार की रसीद उन सबको बाध्य करेगी तथा वह संविदा के किसी प्रयोजन के लिए पर्याप्त रूप से उन्मुक्त (डिस्चार्ज) होगी ।
4. **बिक्री कर पंजीयन एवं शोधन प्रमाण पत्र (Clearance certificate)** : कोई भी डीलर जहां उसका व्यवसाय स्थित है, यदि राज्य में प्रचलित बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत नहीं है तो वह निविदा नहीं देगा । बिक्री कर पंजीयन संख्या का उल्लेख किया जाना चाहिए तथा सम्बन्धित सरकिल के वाणिज्यिक कर अधिकारी से बिक्री कर शोधन प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाएगा तथा इसके बाद निविदा को रद्द कर दिया जाएगा ।
5. **आयकर शोधन प्रमाण पत्र** – निविदादाताओं को सम्बन्धित सरकिल के आयकर अधिकारी से एक आयकर शोधन प्रमाणपत्र निविदाओं के साथ प्रस्तुत करना होगा । इसके बिना निविदाओं पर विचार नहीं किया जायगा ।
6. निविदा प्रारूप स्याही से भरा जाएगा या टंकण से भरा जायगा । पैंसिल से भरी गयी किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा । निविदादाता निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा तथा अन्त में निविदा की समस्त शर्तों को स्वीकार करने के प्रमाण में हस्ताक्षर करेगा ।
7. दरें शब्दों एवं अंको दोनों में लिखी जाएंगी। इसमें कोई त्रुटियां (Errors) एवं/या उपरिलेखन नहीं होना चाहिए। यदि कोई शुद्धियां करनी हो तो स्पष्ट रूप से की जानी चाहिए एवं दिनांक सहित उन पर लघुहस्ताक्षर किए जाने चाहिए। दरों में राजस्थान बिक्री कर एवं केन्द्रीय किक्री करों की राशि को पृथक् से दिखाना चाहिए।
8. दरें गन्तव्य स्थान तक एफ.ओ.आर. उद्धृत की जानी चाहिए तथा उसमें सभी आनुषंगिक (Incidental) प्रभारों को शामिल करना चाहिए। किन्तु चुंगीकर, केन्द्रीय/राजस्थान बिक्री कर को शामिल न करके इन्हे अलग से दिखाया जाना चाहिए। स्थानीय प्रदायों (सप्लाइज) के मामले में दरों में समस्त करों आदि को शामिल करना चाहिए तथा सरकार द्वारा कोई गाडी भाडा (कॉर्टेज) या परिवहन प्रभारों का सरकार द्वारा भुगतान नहीं किया जाएगा तथा माल की सुपुर्दगी क्रेता अधिकारी के परिसरों पर दी जाएगी। खरीदे जाने वाले माल कार्यालयों के उपयोग के लिए होते हैं, **इन पर चुंगीकर (ऑक्ट्राय) का भुगतान नहीं किया जाता है** । अतः इन दरों में चुंगी कर एवं स्थानीय करों आदि को शामिल नहीं करना चाहिए। यदि खरीदे जाने वाले माल पुनः बिक्री करने के लिए या बिक्री करने के लिए या हेतु किसी माल के विनिर्माण

के रूप में उपयोग में लेने को हैं, तो इन दरों में चुंगीकर (ऑक्ट्राय) एवं स्थानीय करों को शामिल किया जाएगा। पूर्व की दशा में विहित प्ररूप में एक प्रमाणपत्र सप्लाई आदेश के साथ प्रस्तुत किया जाएगा।

9. **(i) दरों की तुलना** : राजस्थान के बाहर की फर्मों द्वारा तथा राजस्थान के भीतर की उन फर्मों द्वारा, जो नियमों के अन्तर्गत मूल्य अधिमान के लिए अधिकृत नहीं हैं, निविदा दरों की तुलना करने में, राजस्थान बिक्री कर की राशि को शामिल नहीं किया जाएगा जबकि केन्द्रीय बिक्री कर को इसमें शामिल किया जाएगा। (ii) राजस्थान के भीतर की फर्मों के सम्बन्ध में दरों की तुलना करते समय, राजस्थान बिक्री कर की राशि को शामिल किया जाएगा।
10. **मूल्य अधिमान** : मूल्य अधिमानता/अधिमानता राजस्थान के उद्योगों द्वारा उत्पादित या विनिर्मित मालों पर या राजस्थान के बाहर उद्योगों द्वारा उत्पादित या विनिर्मित मालों की तुलना में भण्डार क्रय (राजस्थान के उद्योगों को अधिमानता) नियम, 1995 के अनुसार दी जायगी।
11. **विधि मान्यता** : निविदायें, उनके खोले जाने के दिनांक से तीन माह की अवधि के लिए विधिमान्य होगी।
12. अनुमोदित प्रदायकर्ता (सप्लायर) के लिए यह समझा जाएगा कि उसने प्रदाय की जाने वाली वस्तुओं की दशा, स्पेसीफिकेशन, साइज, मेक एवं ड्राइंग्स आदि की सावधानीपूर्वक जांच करली हैं। यदि उसे इन शर्तों के किसी भाग, स्पेसीफिकेशन, ड्राइंग्स आदि के आशय के बारे में कोई सन्देह हो, तो वह संविदा पर हस्ताक्षर करने से पूर्व, उसे क्रेता अधिकारी को भेजेगा तथा उससे स्पष्टीकरण प्राप्त करेगा।
13. टेकेदार अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी के लिए नहीं सौंपेगा या उप-भाडे (सब लैट) पर नहीं देगा।
14. **विशेष विवरण (स्पेसीफिकेशन्स)** : (i) प्रदाय की गयी सभी वस्तुएं निविदा में निर्धारित स्पेसीफिकेशन, ट्रेडमार्क के पूर्णतया अनुरूप होंगी तथा जहां पर वस्तुओं की आई.एस.आई. स्पेसीफिकेशन्स के अनुसार अपेक्षा की गयी हो, उन मदों को पूर्णरूप से उन स्पेसीफिकेशन्स से उन स्पेसीफिकेशन्स के अनुरूप होना चाहिए तथा उस पर वह मार्क होना चाहिए।

(ii) तारा चिन्ह से अंकित/क्रम संख्या पर अंकित वस्तुओं का प्रदाय, अन्य बातों के साथ, अनुमोदित नमूनों के ठीक अनुरूप होगा तथा अन्य पदार्थों के मामले में जहां कोई स्तरीकृत या अनुमोदित नमूना न हों, अत्युत्तम गुणवत्ता एवं विवरण की वस्तु का प्रदाय किया जाएगा। क्रेता अधिकारी/क्रेता समिति का इस सम्बन्ध में कि क्या प्रदाय की गई वस्तुएं स्पेसीफिकेशन्स के अनुरूप हैं, तथा क्या वे सैम्पल, यदि कोई हो, के अनुसार हैं, किया गया निर्णय निविदादाताओं के लिए अन्तिम एवं मान्य होगा।

(iii) वारंटी एवं गारंटी का खंड : निविदादाता यह गारन्टी देगा कि माल/स्टोर्स/वस्तुएं खरीदे जाने वाले उस माल/स्टोर्स/वस्तुओं की सुपर्दगी के दिनांक से दिनों/माहों की अवधि के लिए यथा विनिर्दिष्ट विवरण एवं गुणवत्ता के अनुरूप बनी रहेगीं तथा इस तथ्य के बावजूद कि क्रेता ने उक्त मालों/स्टोर्स/वस्तुओं का निरीक्षण कर लिया हों एवं/या उन्हें अनुमोदित कर दिया हों, यदि.....दिनों/माहों की उक्त अवधि में, उक्त मालों/स्टोर्स/वस्तुओं को उपरोक्त विवरण एवं गुणवत्ता के अनुरूप नहीं पाया गया या वे समाप्त हो गये हैं (तथा उस सम्बन्ध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अन्तिम व परिणामी होगा), तो क्रेता उक्त मालों/स्टोर्स/वस्तुओं को या उनके उस भाग को जो उक्त विवरण एवं गुणवत्ता के अनुरूप नहीं पाये जाएंगे, रद्द करने के लिए अधिकृत होगा। ऐसे रद्द किये जाने पर माल/स्टोर्स/वस्तुएं विक्रेता की जोखिम पर होंगी तथा माल आदि को रद्द करने से सम्बन्धित समस्त उपबंध लागू होंगे। निविदादाता, यदि उसे ऐसा करने के लिए कहा गया तो वह उस माल आदि को या उसके उस भाग को जिसे क्रेता अधिकारी द्वारा रद्द कर दिया गया है, बदल देगा, अन्यथा निविदादाता ऐसी क्षति के लिए भुगतान करेगा जो इसमें दी गयी शर्त के उल्लंघन के कारण उत्पन्न होगी। इसमें दी गई कोई भी बात से इस संविदा के अधीन या अन्यथा उस सम्बन्ध में क्रेता अधिकारी के किसी अन्य अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी।

(iv) मशीनों एवं उपकरणों के मामले में भी, उक्त खण्ड (iii) में उल्लिखित किए गए अनुसार गारंटी दी जाएगी तथा निविदादाता गारण्टीकृत अवधि में पुर्जों को बदलेगा या किसी भी विनिर्माण की कमी को दूर करेगा यदि उक्त अवधि में

उन्हे वैसा पाया जाएगा ताकि मशीन एवं उपकरण ठीक काम कर सकें। निविदादाता मशीनों एवं उपकरणों को भी बदलेगा यदि वे ऐसे दोषपूर्ण पाये जाएं कि विनिर्माण की त्रुटि आदि के कारण उन्हें काम में नहीं लिया जा सकता है।

(iv) क्रेता अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट मशीन एवं उपकरण के मामले में निविदादाता ऐसी शर्तों पर जो उनके बीच स्वीकार की जाएंगी, वार्षिक रखरखाव (मेंटीनेंस) एवं मरम्मत करने के लिए उत्तरदायी होगा। निविदादाता किसी विशिष्ट प्रकार की मशीनरी के लिए आवश्यक स्पेयर पार्ट्स एवं उपकरणों की नियमित समुचित सप्लाई करने के लिए भी उत्तरदायी होगा चाहे वे मशीनें या उपकरण वार्षिक रखरखाव व मरम्मत की दर संविदा के अधीन होया अन्यथा हों। मॉडल में परिवर्तन के मामले में, वह क्रेता अधिकारी को पर्याप्त समय पूर्व सूचना देगा। क्रेता अधिकारी अपनी मशीनों एवं उपकरणों को पूर्ण रूप से कार्यकारी दशा में रखने के लिए उनसे स्पेयर पार्ट्स खरीदना पसन्द कर सकेगा।

15. निरीक्षण :

(क) क्रेता अधिकारी या उसका विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि, सभी युक्तियुक्त उचित समयों पर प्रदायकर्ता के परिसर में जाएगा तथा यह विनिर्माण की प्रक्रिया के दौरान या उसके बाद जैसा भी निश्चय किया जाएगा किसी भी समय मालों/उपकरणों/मशीनों की सामग्री एवं कर्मकौशल का निरीक्षण एवं जांच करने की शक्ति रखेगा।

(ख) निविदादाता अपने कार्यालय के परिसर, गोदाम एवं वर्कशाप का, जहां पर निरीक्षण किया जा सकता है, पूर्ण पता, उस व्यक्ति के नाम व पते के साथ देगा जिसमें उस प्रयोजन के लिए सम्पर्क करना होगा। उन डीलरों के मामले में जो व्यवसाय में नए रूप में प्रविष्ट हुए हैं, उन्हें बैंकर्स से एक परिचय-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है।

16. **सैम्पल** : अनुसूची में अंकित वस्तुओं के लिए निविदाओं के साथ उचित रूप से पैक की गयी निविदित वस्तुओं के दो नमूने प्रस्तुत किए जाएंगे। ऐसे सैम्पल, यदि व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किए जाएंगे तो कार्यालय में प्राप्त किया जाएंगे। सैम्पल प्राप्त करने वाले अधिकारी द्वारा प्रत्येक सैम्पल के लिए एक रसीद दी जाएगी। यदि ये सैम्पल ट्रेन आदि से भेजे जाते हैं, तो इन्हें भुगतान कर भाड़े द्वारा भिजवाने चाहिए तथा आर/आर या जी. आर. एक पृथक् रजिस्टर्ड लिफाफे द्वारा भेजी जानी चाहिए। कटरिंग/खाद्य पदार्थों के नमूने प्लास्टिक बॉक्स/पोलीथीन के थैले में निविदादाता के मूल्य से रखे जाने चाहिए।

17. प्रत्येक सैम्पल या किसी स्लिप पर या तो लिखकर या नमूने के साथ एक मजबूत कागज सुरक्षित ढंग से बांध कर उसे उपयुक्त रूप से चिन्हित किया जाएगा तथा उस पर निविदादाता का नाम, मद की क्रम संख्या जिसका वह अनुसूचि में नमूना है, आदि लिखे जाएंगे।

18. अनुमोदित सैम्पलों को संविदा के समाप्त होने के बाद छह माह की अवधि तक निःशुल्क रखा जाएगा। इस अवधि में इन सैम्पलों को प्रतिधारित (Retained) किया जाएगा परन्तु उसमें किसी भी क्षति, टूटफूट, परीक्षण, जांच आदि के दौरान हानि के लिए सरकार उत्तरदायी नहीं होंगी। निर्धारित अवधि की समाप्ति पर निविदादाता द्वारा सैम्पलों को वापस लिया जाएगा। सरकार किसी भी रूप में उन्हें लौटाने की व्यवस्था नहीं करेगी। संविदा समाप्त होने की अवधि के बाद यदि 9 माह की अवधि के भीतर कोई सैम्पल प्राप्त नहीं किए जाते हैं तो उन्हें सरकार द्वारा समपहृत (Forefeit) कर लिया जाएगा तथा उनकी लागत आदि के लिए कोई क्लेम स्वीकार नहीं किया जाएगा।

19. असफल निविदादाताओं द्वारा अनुमोदित नहीं किए गए नमूनों को इकट्ठा किया जाएगा। जिस अवधि में इन नमूनों को रखा जाता है उसमें किसी भी प्रकार की क्षति, टूट-फूट या परीक्षण, जांच आदि के दौरान हानि के लिए सरकार उत्तरदायी नहीं होगी। जो नमूने वापस लिए जाएंगे उन्हें समपहृत किया जाएगा तथा उनकी लागत आदि के लिए किसी भी दावे को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

20. सप्लाई जब भी प्राप्त की जाएगी उनका निरीक्षण यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा कि वे स्पेसिफिकेशन्स या नमूनों के अनुरूप हैं। जहां आवश्यक हों या विहित किया गया हो या व्यावहारिक हो, वहां परीक्षण सरकारी प्रयोगशालाओं, प्रतिष्ठित परीक्षण गृहों जैसे श्री राम टेस्टिंग हाऊस, नई दिल्ली एवं तत्समान परीक्षण गृहों में कराया

जाएगा तथा जहां पर सप्लाई किया गया सामान इन परीक्षणों के परिणामस्वरूप विहित स्पेसीफिकेशन्स के स्तर के अनुरूप पाया जाएगा, उन्हें स्वीकार किया जाएगा।

- 21. सैम्पल निकालना (Drawing of Samples) :** परीक्षणों के मामले में, निविदादाता या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में चार सेटों में सैम्पल लिए जाएंगे तथा उन्हें उनकी उपस्थिति में उचित प्रकार से मुहरबन्द किया जाएगा। उनमें से एक सेट उन्हें दे दिया जाएगा, एक या दो सेटों को प्रयोगशालाओं एवं/या परीक्षण गृहों में भिजवा दिया जाएगा तथा तीसरा या चौथा सेट संदर्भ एवं अभिलेख के लिए कार्यालय में प्रतिधारित किया जाएगा।
- 22. परीक्षण प्रभार :** परीक्षण प्रभार सरकार द्वारा वहन किए जाएंगे। यदि निविदादाता अत्यावश्यक तत्काल परीक्षण कराना चाहता हो या यदि परीक्षण परिणामों से यह ज्ञात होता हो कि सप्लाई किया गया सामान विहित स्तरों या स्पेसीफिकेशन्स के अनुसार नहीं हैं, तो परीक्षण प्रभार निविदादाता द्वारा वहन किए जाएंगे।
- 23. रद्द करना (Rejection) :** (i) निरीक्षण या परीक्षण के दौरान जो वस्तुएं अनुमोदित नहीं की जाएंगी उन्हें रद्द कर किया जाएगा तथा निविदादाता द्वारा उन्हें क्रेता अधिकारी द्वारा निश्चित किए गए समय के भीतर अपनी स्वयं की लागत पर बदला जाएगा।
- (ii) तथापि, यदि सरकारी कार्य की तात्कालिक आवश्यकता के कारण, पूर्ण या आंशिक रूप में उन वस्तुओं को बदलाना साध्य (feasible) नहीं समझा जाए, तो क्रेता अधिकारी निविदादाता को सुनवाई किए जाने का एक उचित अवसर देकर, ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किए जाएंगे, अनुमोदित दरों में से उपयुक्त राशि की कटौती करेगा। इस प्रकार की गई कटौती अन्तिम रहेगी।
- 24.** रद्द की गयी वस्तुओं को निविदादाता उन्हें रद्द करने की सूचना प्राप्त करने से 15 दिन के भीतर हटा लेगा, इसके बाद क्रेता अधिकारी किसी भी प्रकार की हानि, कमी या क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा तथा उसे निविदादाता की जोखिम एवं उसके लेखे पर उन वस्तुओं को जिन्हें वह उचित समझे, बेचने का अधिकार होगा।
- 25.** निविदादाता उचित पैकिंग करने के लिए उत्तरदायी होगा ताकि समुद्र, रेल, सड़क या वायुयान द्वारा परिवहन की सामान्य स्थिति में उनमें कोई क्षति न हो तथा गन्तव्य स्थल पर माल प्राप्तकर्ता को माल की सुपुर्दगी अच्छी दशा में प्राप्त हो सके। किसी प्रकार की हानि, क्षति, टूटफूट या रिसाव (लीकेज) या किसी कमी के होने के मामले में, निविदादाता माल प्राप्तकर्ता द्वारा उन सामग्रियों की जांच/निरीक्षण किए जाने पर पायी गयी ऐसी हानि एवं कमी की पूर्ति करने के लिए उत्तरदायी होगा। इसके लिए कोई अतिरिक्त लागत स्वीकार नहीं की जाएगी।
- 26.** प्रदाय हेतु संविदा को, यदि माल की सप्लाई क्रेता अधिकारी की सन्तुष्टि के अनुसार नहीं की जाती हैं, तो निविदादाता को सुनवाई का एक युक्तियुक्त अवसर देने के बाद क्रेता अधिकारी किसी भी समय निराकृत (requisite) कर सकता है। वह इस प्रकार निराकृत करने के कारणों को अभिलिखित करेगा।
- 27.** निविदादाता का उसके प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन कराना एक प्रकार की अनर्हता (Disqualification) होगी।
- 28. (i) सुपुर्दगी अवधि :** निविदादाता जिसकी निविदा स्वीकार की जाएगी, वह सप्लाई आदेश की तारीख से की अवधि के भीतर तक निम्न प्रकार के सामान की सप्लाई करने की व्यवस्था करेगा:-
- | | | | |
|-------------|----|--------|----------------|
| क्रम संख्या | मद | मात्रा | सुपुर्दगी अवधि |
|-------------|----|--------|----------------|
- (ii) मात्रा की सीमा – आदेश को फिर से देना : यदि निविदा सूचना में दर्शित मात्रा से अधिक के लिए आदेश दिया जाता है, तो निविदादाता अपेक्षित सप्लाई की पूर्ति करने के लिए बाध्य होगा। पुनः आदेश (Repeat Orders) भी निविदा में दी गयी शर्तों पर दिए जा सकेंगे, परन्तु शर्त यह कि ऐसे पुनरादेश मूल रूप में खरीदी गयी मात्रा की 50 % तक की सप्लाई के लिए ही होंगे तथा ऐसे आदेश देने की अवधि अन्तिम माल प्रदाय करने के दिनांक से एक माह से अधिक बाद की नहीं होगी। यदि निविदादाता, ऐसी सप्लाई करने में असमर्थ रहता है तो क्रेता अधिकारी अवशेष सामान की सप्लाई की व्यवस्था सीमित निविदा द्वारा या अन्यथा प्रकार से करने के लिए स्वतन्त्र होगा तथा जो भी अतिरिक्त लागत व्यय की जाएगी उसकी निविदादाता से वसूली की जाएगी।

(iii) यदि क्रेता अधिकारी किन्हीं निविदा वस्तुओं की खरीद नहीं करता है या निविदा प्रपत्र में निर्दिष्ट मात्रा से कम मात्रा में माल खरीदता है, तो निविदादाता किसी क्षतिपूर्ति का क्लेम करने के लिए अधिकृत नहीं होगा।

29. बयाना राशि (अर्नेस्ट मनी) :

(क) निविदा के साथ 50000/-.... रु. की बयाना राशि प्रस्तुत की जाएगी। इसके बिना निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा। यह राशि Registrar, University of Kota, Kota कोटा के पक्ष में निम्नलिखित में से किसी भी रूप में जमा करायी जानी चाहिए।

(i) नकद—शीर्ष **"8443—सिविल निक्षेप—103 प्रतिभूति निक्षेप"** के अन्तर्गत ट्रेजरी चालान से जमा कराया जाना चाहिए।

(ii) शिड्यूल बैंक का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक।

(ख) **बयाना राशि का प्रतिदाय (Refund of Earnest Money)** : असफल निविदादाता की बयाना राशि निविदा को अन्तिम रूप से स्वीकार करने के बाद यथाशक्त शीघ्र लौटायी जाएगी।

(ग) **बयाना राशि से छूट** : उन फर्मों को जो निदेशक, उद्योग विभाग, राजस्थान के पास पंजीकृत हैं, उन मदों के सम्बन्ध में जिनके लिए वे उक्त रूप में रजिस्टर्ड की गई हैं, उनके द्वारा मूल पजीयन प्रमाण—पत्र या उसकी फोटोस्टेट प्रति या किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत अनुप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने पर, निविदायें आमंत्रित करने की सूचना में दिखाए गए निविदा के अनुमानित मूल्य के 1 प्रतिशत की दर पर बयाना राशि जमा करानी होंगी।

(घ) केन्द्र सरकार एवं राजस्थान के उपक्रमों को कोई बयाना राशि प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।

(ङ) अनुमोदन की प्रतिक्षा करने वाली या रद्द की गयी या संविदाओं के पूर्ण हो जाने के कारण विभाग/कार्यालय के पास जमा बयाना राशि/प्रतिभूति निक्षेप को नई निविदाओं के लिए बयाना राशि/प्रतिभूति धन के प्रति समायोजित नहीं किया जाएगा। तथापि, यदि निविदाओं को पुनः आमंत्रित किया जाता है तो बयाना राशि को उपयोग में लिया जा सकता है।

30. बयाना राशि का समपहरण : बयाना राशि को निम्नलिखित मामलों में समपहृत कर लिया जाएगा —

(i) जब निविदादाता निविदा खोलने के बाद किन्तु निविदा को स्वीकार करने के पूर्व प्रस्ताव को वापस लेता है या उसमें उपान्तरण (Modification) करता है।

(ii) जब निविदादाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर विहित किसी करार को, यदि कोई हो, निष्पादित नहीं करता है।

(iii) जब निविदादाता प्रदायगी के लिए आदेश देने के बाद प्रतिभूति राशि जमा नहीं कराता है।

(iv) जब वह विहित समय के भीतर सप्लाई आदेश के अनुसार मदों की सप्लाई प्रारम्भ करने में असफल रहता है।

31. (1) करार एवं प्रतिभूति निक्षेप (Agreement and Security Deposit) :

(i) सफल निविदादाता को आदेश के प्राप्त होने से 7 दिवस की अवधि के भीतर प्ररूप 17 में एक करार पत्र निष्पादित करना होगा तथा जिन सामानों (स्टोर्स) के लिए निविदाएं स्वीकार की गयी हैं, उनके मूल्य के 5 % के बराबर प्रतिभूति जमा करानी होगी। यह प्रतिभूति प्रेषण के उस दिनांक से जिसको निविदा के स्वीकार किए जाने की सूचना उसे दी गयी है, 15 दिन के भीतर जमा करायी जाएगी। (विलोपित) 2

(ii) निविदा के समय जमा करायी गई बयाना राशि को प्रतिभूति की राशि के लिए समायोजित किया जाएगा। प्रतिभूति की राशि किसी भी दशा में बयाना राशि से कम की नहीं होगी।

(iii) प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा।

(iv) प्रतिभूति राशि के रूप निम्न प्रकार होंगे –

(क) नकद/बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/चालान की रसीदी प्रति

(ख) डाकघर बचत बैंक पास बुक जिसे विधिवत् गिरवी (pledge) रखा जाएगा।

(ग) अल्प बचतों को प्रोत्साहन देने के लिए राष्ट्रीय बचत योजनाओं के अन्तर्गत राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, डिफेंस सेविंग्स सर्टिफिकेट्स, किसान विकास पत्र या कोई अन्य स्क्रिट/विलेख यदि उन्हें गिरवी रखा जा सकता हों। इन प्रमाण पत्रों को उनके समर्पण मूल्य (सरेण्डर वेल्यू) पर स्वीकार किया जाएगा।

(v) एक समय पर खरीद के मामले में क्रय आदेश के अनुसार मर्च की अन्तिम सप्लाई से एक माह के भीतर तथा यदि सुपुर्दगी को सान्तर (Staggered) किया जाता है तों दो माह के भीतर उसके लिए संविदा के सन्तोषजनक रूप से पूर्ण कर दिए जाने के बाद या गारण्टी की अवधि, यदि हो, के समाप्त होने के बाद जो भी बाद में हों, तथा इससे सन्तुष्ट हो जाने पर कि निविदादाता के विरुद्ध कोई देय बकायायें (Outstanding Dues) नहीं हैं, प्रतिभूति राशि का प्रतिदाय किया जाएगा।

(2) (i) निदेशक, उद्योग विभाग, राजस्थान के पास रजिस्ट्रीकृत फर्मों को उन सामानों के सम्बन्ध में जिनके लिए वें रजिस्टर्ड हैं, उनके द्वारा निदेशक उद्योग से पंजीयन की विधिवत् अनुप्रमाणित एक प्रति प्रस्तुत किए जाने पर, बयाना राशि के भुगतान से आंशिक छूट दी जाएगी तथा वे निविदा के अनुमानित मूल्य में 1 प्रतिशत की दर पर प्रतिभूति निक्षेप का भुगतान करेंगे।

(ii) केन्द्र सरकार एवं राजस्थान के उपक्रम प्रतिभूति राशि जमा कराने से मुक्त होंगे।

(3) **प्रतिभूति निक्षेप का समपहरण** : प्रतिभूति की राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलों में समपहृत किया जाएगा –

(क) जब संविदा की शर्तों का उल्लंघन किया गया हों।

(ख) जब निविदादाता सम्पूर्ण सप्लाई सन्तोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हों।

(ग) प्रतिभूति निक्षेप को समपहृत करने के मामले में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जाएगा। इस सम्बन्ध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा।

(4) करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प लगाने का व्यय निविदादाता द्वारा वहन किया जाएगा तथा विभाग को उस करार की एक निष्पादित स्टाम्प शुदा प्रतिपड़त (Counter foil) निःशुल्क प्रस्तुत की जाएगी।

32. (i) समस्त माल रेलवे या गुड्स ट्रांसपोर्ट के जरिए भाडा चुकाकर भेजा जाएगा। यदि सामान भेज दिया जाता है तथा उसका भाडा चुकाना हों, तो प्रदायकर्ता (सप्लायर) के बिल में से उस भाडे के 5 % की दर से विभागीय प्रभारों की भी वसूली की जाएगी।

(ii) आर.आर. (R.R.) केवल बैंक के माध्यम से रजिस्टर्ड लिफाफे में भेजी जानी चाहिए।

(iii) यदि क्रेता अधिकारी माल को पैसेन्जर ट्रेन से भिजवाने की इच्छा करता है तो सम्पूर्ण रेल का भाडा विभाग द्वारा वहन किया जाएगा।

(iv) भुगतान करने पर किए गए प्रेषण प्रभार (Remittance charges) निविदादाता द्वारा वहन किए जाएंगे।

33. बीमा :

(i) सामान गन्तव्य गोदाम पर सही दशा में सुपुर्द किए जाएंगे। यदि सप्लायर चाहे तो वह मूल्यवान सामान को चोरी, नाश या क्षय द्वारा या आग, बाढ़, मौसम में पड़ा रहने के कारण या अन्यथा (जैसे – युद्ध, विद्रोह, दंगे आदि) द्वारा हानि से बचाने के लिए बीमा करा सकेगा। यह बीमा प्रभार निविदादाता द्वारा वहन किया जाएगा तथा यदि ऐसे व्यय किए जाते हैं तो राज्य से इन प्रभारों का भुगतान करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

(ii) यदि क्रेता द्वारा चाहा गया हो तो क्रेता की लागत पर भी इन वस्तुओं का बीमा कराया जाएगा। ऐसे मामलों में बीमा सदैव भारतीय जीवन बीमा निगम या उसकी सहायक शाखाओं से कराया जाना चाहिए।

34. भुगतान :

(i) दुर्लभ एवं विशिष्ट मामलों के सिवाय अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा। यदि अग्रिम भुगतान किया जा रहा हो तो वह माल प्रेषित करने के सबूत पर तथा रेल/प्रतिष्ठित गुड्स ट्रांसपोर्ट कम्पनियों आदि द्वारा वित्तीय शक्तियों में विहित की गई सीमा तक तथा पूर्व निरीक्षण, यदि कोई हो, किए जाने पर दिया जाएगा। अवशेष राशि का भुगतान माल अच्छी हालत में प्राप्त होने पर तथा निविदादाता को नहीं दिए गए उस सम्बन्ध का प्रमाण पत्र निरीक्षण के समय पृष्ठांकित किए जाने पर किया जाएगा।

(ii) जब तक पक्षकारों के मध्य अन्यथा सहमति न हो जाए, सामान की सुपुर्दगी के लिए भुगतान निविदादाता द्वारा क्रेता अधिकारी को उचित प्ररूप में सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुसार बिल प्रस्तुत करने पर किया जाएगा तथा सभी प्रेषण प्रभार निविदादाता द्वारा वहन किया जाएंगा।

(iii) विवादास्पद मदों के सम्बन्ध में, राशि के 10 से 25 % तक रोका जाएगा तथा उस विवाद का निपटारा हो जाने पर उसका भुगतान कर दिया जाएगा।

(iv) उन मामलों के सम्बन्ध में जिनमें परीक्षण करने की जरूरत है, भुगतान तभी किया जाएगा जब वें परीक्षण कर लिए जाएंगे तथा प्राप्त हुए परीक्षण विहित स्पेसीफिकेशन के अनुरूप होंगे।

35. (i) निविदा प्रपत्र में सुपुर्दगी के लिए विनिर्दिष्ट समय को संविदा के सार रूप समझा जाएगा तथा सफल निविदादाता क्रेता अधिकारी से फर्म ऑर्डर से प्राप्त होने से अवधि के भीतर सप्लाइ करेगा।

(ii) परिनिर्धारित क्षति (Liquidated damages) : परिनिर्धारित क्षति के साथ सुपुर्दगी अवधि में वृद्धि करने के मामले में, वसूली निम्नलिखित प्रतिशतता के आधार पर उन स्टोर के मूल्यों के लिए की जाएगी जिनकी निविदादाता सप्लाइ करने में असफल रहा है –

(1) (क) विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए 2.5%

(ख) एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि की आधी अवधि से अनधिक के लिए 5%

(ग) आधी अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि के तीन चौथाई से अनधिक अवधि के लिए 7.5%

(घ) विहित अवधि की तीन-चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिए 10%

(2) विलम्ब की अवधि में आधे दिन से कम भाग को छोड़ दिया जाएगा :

(3) परिनिर्धारित क्षति की अधिकतम राशि 10 % होगी।

(4) यदि प्रदायकर्ता (सप्लायर) किन्हीं बाधाओं के कारण संविदान्तर्गत माल की सप्लाई को पूरा करने के लिए समय में वृद्धि करना चाहता है, तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा जिसने प्रदायगी हेतु आदेश दिया है। किन्तु वह उसके लिए निवेदन बाधा के घटित होने पर तुरन्त उसी समय करेगा न कि सप्लाई पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के बाद करेगा।

(5) यदि माल की सप्लाई करने में उत्पन्न हुई बाधा निविदादाता के नियन्त्रण से परे कारणों से हुई हो तो सुपुर्दगी की अवधि में वृद्धि परिनिर्धारित क्षति सहित या रहित की जा सकेगी।

- 36. वसूलियां :** परिनिर्धारित क्षयों, कम सप्लाई, टूटफूट, रद्द की गई वस्तुओं के लिए वसूली साधारण रूप से बिल में से की जाएंगी। कम सप्लाई, टूटफूट, रद्द किए गए मालों की सीमा तक राशि को भी रोका जा सकेगा तथा यदि सप्लायर सन्तोषजनक ढंग से उनको नहीं बदलता है तो परिनिर्धारित क्षय (लिक्विडेटेड डेमेजेज) के साथ वसूली उसकी देय राशि (dues) एवं विभाग के पास उपलब्ध प्रतिभूति निक्षेप से की जाएंगी। यदि वसूली करना सम्भव न हो तो राजस्थान पी डी आर एक्ट या प्रवृत्त किसी अन्य कानून के अन्तर्गत कार्रवाई की जाएगी।
- 37.** निविदादाताओं को यदि आवश्यक हो तो आयात लाईसेंस प्राप्त करने के लिए अपनी स्वयं की व्यवस्था करनी चाहिए।
- 38.** यदि निविदादाता ऐसी शर्त आरोपित करता है जो इसमें वर्णित शर्तों के अतिरिक्त है या उनके विरोध में हैं, तो उसकी निविदा को संक्षिप्त रूप में कार्यवाई कर रद्द कर दिया जाएगा। किसी भी सूरत में इनमें से किसी भी शर्त को स्वीकार किया हुआ नहीं समझा जाएगा जब तक की क्रेता अधिकारी द्वारा जारी किए गए निविदा स्वीकृति के पत्र में विशेष रूप से उल्लिखित न किया गया हो।
- 39.** क्रेता अधिकारी किसी भी निविदा को जो आवश्यक रूप से न्यूनतम दर की निविदा नहीं है, स्वीकार करने, बिना कोई कारण बतलाये किसी भी निविदा को रद्द करने या जिन वस्तुओं के लिए निविदादाता ने निविदा दी है, उन सब के लिए या किसी एक या अधिक के लिए निविदा को स्वीकार करने या एक फर्म/सप्लायर से अधिक को स्टोर्स की मदों को वितरित करने के अधिकारी को अपने पास आरक्षित रखेगा।
- 40.** निविदादाता करार को निष्पादित करते समय निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेगा :-
- (i) यदि भागीदारी फर्म हो तो भागीदारी विलेख (पार्टनरशिप डीड) की एक अभिप्रमाणित प्रति।
- (ii) यदि भागीदारी फर्म रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास पुजीकृत हो तो पंजीयन संख्या एवं उसका वर्ष।
- (iii) एक मात्र स्वामित्व के मामले में आवास एवं कार्यालय का पता, टेलीफोन नम्बर।
- (iv) कम्पनी के मामले में कम्पनी के रजिस्ट्रार के द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र।
- 41.** यदि संविदा के निर्वचन (Interpretation), आशय या संविदा की शर्तों के उल्लंघन के सम्बन्ध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो पक्षकारों द्वारा मामले को विभागाध्यक्ष को भेजा जाएगा जो उस विवाद के लिए एकमात्र मध्यस्थ (सोल आर्बिट्रेटर) के रूप में अपने वरिष्ठतम उप-अधिकारी की नियुक्ति करेगा। यह उप-अधिकारी इस संविदा से संबद्ध नहीं होगा तथा उसका निर्णय अन्तिम होगा।
- 42.** समस्त विधिक कार्यवाही, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो तो किसी भी पक्षकार (सरकार या ठेकेदार) द्वारा राजस्थान में स्थित कोटा जिला न्यायालय में ही पेश की जाएगी अन्यत्र पेश नहीं की जाएगी।

करार पत्र

- (1) यह करार आज दिनांकमाहसन् को एक पक्ष के
..... (जिसे इसमें आगे 'अनुमोदित सप्लायर' कहा गया है तथा इस अभिव्यक्ति में, जहाँ संदर्भ द्वारा ऐसा स्वीकार किया जाएगा, उसके उत्तराधिकारियों, निष्पादकों एवं प्रशासकों को शामिल किया हुआ समझा जाएगा) तथा विश्वविद्यालय, (जिसे इसमें आगे कोटा विश्वविद्यालय, कोटा कहा गया है तथा इस अभिव्यक्ति में, जहाँ संदर्भ द्वारा ऐसा स्वीकार किया जाएगा, उसके पद के उत्तराधिकारियों एवं समनुदेशितियों को शामिल किया हुआ समझा जाएगा) द्वितीय पक्ष के बीच सम्पन्न किया गया है।
- (2) चूँकि अनुमोदित सप्लायर कोटा विश्वविद्यालय, कोटा को उनके मुख्यालय पर तथा कार्यालयों /अनुभागों को भी, इससे संलग्न की अनुसूची में दी गयी सभी वस्तुओं को निविदा एवं संविदा की शर्तों में दिये गये तरीके से तथा उक्त अनुसूची के कालम में दी गयी दरों पर सप्लायर करने के लिए कोटा विश्वविद्यालय, कोटा से सहमत हो गया है।
- (3) एवं चूँकि अनुमोदित सप्लायर ने रूपये की राशि निम्न प्रकार से जमा करायी है:-
- (i) नकद/बैंक ड्राफ्ट/चालान संख्या/बैंकर्स चैक संख्या दिनांक द्वारा
- (ii) विभागीय प्राधिकारियों के पास विधिवत् रेहन रखकर डाकघर बचत बैंक पास बंक के रूप में,
- (iii) अल्प बचतों को प्रोत्साहन देने हेतु राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्रों/डिफेंस सेविंग्स सर्टिफिकेट्स /किसान विकास पत्रों या किन्ही अन्य स्क्रिप्ट/इन्स्ट्रूमेंट्स के रूप में, यदि इन्हे सम्बन्धित नियमों के अधीन (प्रमाणपत्र उनके समर्पण मूल्य पर स्वीकार किय जायेंगे) उक्त करार के निष्पादन के लिए प्रतिभूति के रूप में गिरवी रखा जा सकता हो तथा उसे विभागीय प्राधिकारियों को औपचारिक रूप से हस्तान्तरित कर दिया गया है।
- (4) अतः अब यह विलेख निम्नलिखित का साक्षी है :-
1. इसमें संलग्न अनुसूची में दी गयी दरों पर के माफत विश्वविद्यालय द्वारा किए जाने भुगतान के प्रतिफल में अनुमोदित सप्लायर में तथा निविदा एवं संविदा की शर्तों में दिये गये तरीके से उक्त वस्तुओं की विधिवत् सप्लायर करेगा।
 2. निविदा सूचना संख्या दिनांक से संलग्न खुली निविदा हेतु निविदा एवं संविदा की शर्तों को तथा ये इस करार पत्र के भाग के रूप में लिये हुआ समझा जाएगा तथा ये इस करार पत्र को निष्पादित करने वाले पक्षकों के लिए मान्य होंगी।
 3. निविदादाता से प्राप्त पत्र में संख्यायें तथा विश्वविद्यालय द्वारा जारी किए पत्र संख्यायें भी जो इस करार पत्र के साथ संलग्न किए गए हैं, इस करार पत्र के भाग के रूप में होंगे।
 4. (क) विश्वविद्यालय एतद् द्वारा स्वीकार करता है कि यदि अनुमोदित सप्लायर उक्त वस्तुओं/वाहनों की उपयुक्त तरीके से विधिवत् सप्लायर करेगा, उक्त शर्तों का पालन करेगा तथा उन्हें बनाए रखेगा, तो

विश्वविद्यालय के माध्यम से अनुमोदित सप्लायर को उक्त शर्तों में दिय गए समय पर तथा तरीके से, प्रत्येक माल प्रेषण के लिए देय राशि का भुगतान करेगी या भुगतान करवाएगी।

(ख) भुगतान की विधि नीचे वर्णन किए गए अनुसार होगी:—

(i) (ii) (iii)

- (5) माल / वाहनों की सुपुर्दगी सप्लाइ हेतु आदेश देने की तारीख से नीचे अंकित अवधि के भीतर प्रारम्भ की जाकर पूर्ण की जाएगी: कम संख्या मर्दों की मात्रा सुपुर्दगी अवधि
- (6) यदि परिनिर्धारित क्षति के साथ सुपुर्दगी की अवधि में वृद्धि की गई हो तो सप्लाइ न किए गए सामानों के लिए निम्नलिखित प्रतिशत के आधार पर वसूली की जाएगी:—
- (क) विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए — 2.5%
- (ख) एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु आधी से अधिक के लिए — 5%
- (ग) आधी अवधि से अधिक किन्तु तीन चौथाई अवधि से अनधिक के लिए — 7.5%
- (घ) विहित सुपुर्दगी अवधि की तीन चौथाई अवधि से अधिक के विलम्ब के लिए — 10%

टिप्पणी:

- (1) (i) विलम्ब की अवधि में आधे दिन से कम को छोड़ दिया जाएगा।
(ii) स्वीकार की गयी परिनिर्धारित क्षति की अधिकतम राशि 10% होगी।
(iii) यदि सप्लायर किसी प्रकार की बाधा के घटित हो जाने के कारण संविदान्तर्गत सप्लाइ को पूरा करने के लिए समय में वृद्धि करने के लिए कहता है तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा जिसने वह सप्लाइ आदेश दिया था। किन्तु यह आवेदन बाधा के घटित होने पर तत्काल उसी समय दिया जाएगा न कि सप्लाइ को पूर्ण करने की निर्धारित तारीख के बाद दिया जाएगा।
- (2) यदि माल की सप्लाइ में विलम्ब ऐसे विध्न के कारण हुआ हो जो निविदाता के नियंत्रण के परे हो तो सुपुर्दगी की अवधि में वृद्धि परिनिर्धारित क्षति के साथ या उसके बिना कर दी जाएगी।
- (7) करार से उत्पन्न होने वाले समस्त विवाद तथा करार पत्र के निर्वाचन या व्याख्या से सम्बन्धित सभी प्रश्न विश्वविद्यालय द्वारा विनिश्चित किए जायेगे तथा विश्वविद्यालय का निर्णय अन्तिम होगा।
इसकी साक्षी में इनके पक्षकारों ने आज दिनांकमाह सन् को अपने हस्ताक्षर किये हैं।

विश्वविद्यालय के लिये तथा की ओर से

अनुमोदित सप्लायर के हस्ताक्षर

तारीख

तारीख

साक्षी संख्या (1)

साक्षी संख्या (2)

.....

.....

साक्षी संख्या (1)

साक्षी संख्या (2)

.....

.....

